Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

उत्तराखण्ड में संचालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की चुनौतियाँ

डॉ0 दीपा लोहनी
असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रभारी
इतिहास विभाग
डॉ0 प्रताप बिष्ट राजकीय महाविद्यालय
भिकियासैंण, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड
ईमेल : ictcellr@gmail.com

सारांश

समकालीन समय में भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह एक ऐसी औपचारिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य अपने समाज या क्षेत्र के रहवासियों एवं उनके परिवारों को आकस्मिक अप्रिय घटनाओं के समय एवं वृद्धावस्था में आने वाली आर्थिक समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में कह सकते है कि किसी एक व्यक्ति या परिवार पर आने वाली आकस्मिक आर्थिक संकट को समाज के समस्त लोगों पर आवंटित कर उसका सरल समाधान तलाशना। साम्प्रतिक समाज वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतीकरण, संचार क्रांति एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर से गुजर रहा है। इसने समाज की विभिन्न पारंपरिक व्यवस्थाओं एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही समाज में संयुक्त परिवार का विघटन, धन की पूजा एवं व्यक्तिवादिता की भावना का विकास जैसे सामाजिक परिवर्तन संबंधी घटनाओं में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति या परिवार को किसी अप्रिय घटना या विविध रूपों में आयी आकस्मिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो उसके समक्ष असामाजिक कार्यों में संलिप्त होने, भुखमरी, कुपोषण के शिकार होने या आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसी अकल्पनीय एवं आकस्मिक घटित होने वाली घटनाओं से तथा समाज के वैसे सदस्यों जो आर्थिक क्रिया में सहयोग करने में शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस होती है।

भारतीय परिवेश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया था, आज भी धरातल पर वह उससे मीलों दूर नजर आता है। समाज में बढ़ती असामाजिक घटनाएं, स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ते गरीब, आर्थिक वंचना के शिकार बच्चे एवं युवावर्ग की उपस्थिति, समाज में वृद्धों की बढ़ती उपेक्षा एवं वृद्धाश्रम का बढ़ता महत्व आदि छवियां वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की अपेक्षित सफलता से दूर रहने की दिशा की ओर संकेत करती है। इसके लिए किसी एक या दो कारक को जिम्मेवार ठहराना समयोचित प्रतीत नहीं होता है। यदि हम उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के अनुरूप बात करें तो समाज में बढ़ती जनसंख्या, जागरूकता का अभाव, भ्रष्टाचार, उपभोक्तावादी संस्कृति की चमक, भौगोलिक परिवेश, अशिक्षा आदि अनेक ऐसे कारक हैं, जो आज सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता के मार्ग में बाधक हैं। बावजूद इसके इस पर्वतीय क्षेत्र में आज जिस रूप में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, वह अपेक्षित रूप में उपयोगी साबित हो रहा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इन योजनाओं की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उसका निराकरण समय रहते किया जाए। प्रस्तुत विषय के इसी महत्व के कारण इस शोध पत्र हेतु अध्ययन के लिए "उत्तराखण्ड में संचालित

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कीं चुनौतियाँ'' शीर्षक का चयन किया गया है। यह अध्ययन मूल रूप से द्वितीयक तथ्यों पर आधारित एक वर्णनात्मक अध्ययन है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विविध पहलुओं पर द्वितीयक तथ्यों के आधार पर प्रकाश डाला गया है तथा इसी के आधार पर निष्कर्ष का आलेखन किया गया है।

शब्द कुंजी

वैश्विक समाज, औपचारिक व्यवस्था, संचार क्रांति, उपभोक्तावादी संस्कृति, आर्थिक वंचना, वृद्धावस्था पेंशन, श्रमसाध्य, मलिन बस्ती, वृद्धाश्रम, अनौपचारिक नियंत्रण

प्रस्तावना

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम साम्प्रतिक वैश्विक परिदृश्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में एक है। इसके लिए आज प्रत्येक राष्ट्र विविध रूपों में यह कार्यक्रम संचालित कर रहा है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का सामान्य तात्पर्य अपने समाज के लोगों को उनके भविष्य के प्रति जागरूक करना तथा आने वाली संभावित समस्याओं तथा आर्थिक संकटों से सुरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करने से है। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 21 क, 1948) के अनुच्छेद 22 में सामाजिक सुरक्षा को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि ''समाज के सदस्य के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रत्येक राज्य की संस्था तथा संसाधन, अर्थव्यवस्था तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व के मुक्तक विकास के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाने का हकदार है। इसी घोषणा के अनुच्छेद 23 में यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि ''काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, यदि संभव हो तो सामाजिक सुरक्षा के किसी अन्य माध्यम द्वारा'' इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किसी भी समाज की इकाई के स्वस्थ विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

समकालीन समय में भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह एक ऐसी औपचारिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य अपने समाज या क्षेत्र के रहवासियों एवं उनके परिवारों को आकस्मिक अप्रिय घटनाओं के समय एवं वृद्धावस्था में आने वाली आर्थिक समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करना है। यह कोई नवीन कार्य या सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के आरंभिक काल से ही यह प्रावधान किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। उस समय इस प्रकार की परिस्थिति का सामना अन्य रूपों में अनौपचारिक तरीके से समाज के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। वर्तमान स्वरूप में इस कार्यक्रम या योजना की शुरूआत उन्नीसवीं सदी की देन है। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान का श्रेय जर्मनी को जाता है, जिसने 1884 में तात्कालिक चांसलर वॉन विस्मार्क के समय कामगार क्षतिपूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत की, तत्पश्चात 1888 में बीमारी बीमा योजना की शुरूआत की गयी। इसी दौरान ब्रिटेन एवं अमेरिका में भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विविध प्रावधान किए जा रहे थे। ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए 1897 में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा 1911 में राष्ट्रीय बीमा अधिनियम का प्रावधान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित परिस्थितियों एवं राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक प्रणाली के बढ़ते महत्व के कारण तात्कालिक प्रभाव से यहां की जनता के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की गई। अमेरिका में भी 1900 से 1920 के बीच की

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

अवधि में इस व्यवस्था का बीजारोपण का कार्य हो गया था लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रमाण सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद मिलता है। इसके बाद ही सन् 1943 में एकीकृत राष्ट्रीय सामाजिक बीमा प्रणाली लागू किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भारतीय सामाजिक परिवेश में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आजादी के बाद स्थापित लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 1210193422 है, जिनमें 1210.85 मिलीयन युवा वर्ग है जबकि आर्थिक रूप से श्रमसाध्य कार्य करने में अक्षम बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या लगभग 104 मिलीयन है। एक बिडम्बना यह भी है कि आज के दौर में बदलती रोजगार की प्रकृति, औद्योगीकरण तथा तकनीकी के विकास ने शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी करने का कार्य किया है। पीउ रिसर्च सेन्टर के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में देश की लगभग 18.6 मिलीयन व्यक्ति बेरोजगार हैं जबकि 393.7 मिलीयन किसी तरह अस्थायी एवं योग्यता के परे काम से जुड़कर अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं। ये बेरोजगार या आंशिक रूप से रोजगारपरक व्यक्ति आज अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा भौतिकवादी चकाचौंध से दिग्भ्रमित होकर अपराध की दिशा में बढ़ जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एनसीआरबी के ऑकड़ों से पता चलता है। एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि आज भी आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के युवा एवं मलिन बस्तियों में निवास करने वाले युवा अपराधिक गतिविधियों में अधिक संलिप्त है। योजना जुलाई 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक रूप से गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक वर्ष छह करोड़ तीस लाख व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति में गिरावट के कारण गरीबी रेखा के नीचे या उसके आस–पास की स्थिति को प्राप्त करता है। इसका एक प्रमुख कारण है, बदलते समय के साथ मंहगी होती चिकित्सा व्यवस्था। ऐसे में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि उसकी समस्त इकाई और खासकर जो आर्थिक रूप से निम्न वर्गीय श्रेणी से है, के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत सर्वप्रथम सन 1923 में कामगार श्रमिक अधिनियम का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में विविध रूप में संचालित पेंशन योजनाएं, सहायता योजनाएं तथा बीमा योजनाएं इस बदलती परिस्थितियों की मांग के कारण अस्तित्व में है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्तमान समय में केन्द्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को अपने परिवेश की मांग के अनुरूप लागू करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुद्देशीय सामाजिक सुरक्षा योजना जिनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत तथा अटल पेंशन योजना के अतिरिक्त अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन, राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनसे राज्य का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

अध्ययन की प्रासंगिकता एवं उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र शीर्षक उत्तराखण्ड में संचालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की चुनौतियाँ वर्तमान समय में चलाए जा रहे विविध सुरक्षा कार्यक्रम पर केन्द्रित है। आज के दौर में जब आर्थिक प्रतिस्पर्धा दिन–प्रतिदिन तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। ऐसे में वैसे परिवार जो

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, को विशेष अवसर पर आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन धरातल स्तर पर किए अवलोकन से पता चलता है कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बहुत सी योजनाओं से आज भी सामान्य जन और खासकर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब ग्रामीण अनभिज्ञ हैं। ऐसे में इस प्रकार के कार्यक्रम की अपेक्षित सफलता कोरी कल्पना प्रतीत होती है।

प्रस्तुत अध्ययन इस बात को जानने पर केन्द्रित है कि भारत के नवगठित पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की वास्तविक दशा क्या है। यहां की किन परिस्थितियों के कारण इस प्रकार की योजनाएं संचालित किया जाना आवश्यक है तथा इसके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या है। इन सूचनाओं के आधार पर न केवल सरकारी स्तर पर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी बल्कि सामाजिक जागरूकता लाने के लिए भी एक निश्चित दिशा का आकलन करने में सहायक साबित होगी।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अध्ययन की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया है, जो इस प्रकार है–

1. उत्तराखण्ड में संचालित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के स्वरूप का अध्ययन करना।
2. उत्तराखण्ड में संचालित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की वास्तविक दशा का अध्ययन करना।
3. उत्तराखण्ड में संचालित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम में बाधक कारकों का अध्ययन करना।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकताएं

आज के दौर में विविध रूपों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की बढ़ती आवश्यकताओं का एक प्रमुख कारण है, समाज की बदलती सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां। साम्प्रतिक समाज वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतीकरण, संचार क्रांति एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर से गुजर रहा है। इसने समाज की विभिन्न पारंपरिक व्यवस्थाओं एवं संस्कृति में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही समाज में संयुक्त परिवार का विघटन, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का महत्वहीन होना, धन की पूजा एवं व्यक्तिवादिता की भावना जैसे विचारों एवं संस्कृतियों का महत्व बढ़ गया। भारतीय संस्कृति में कुछ समय पूर्व तक परिवार ही नहीं बल्कि समाज में भी बुजुर्ग सदस्यों को सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त था। उन्हें परिवार की रीढ़ माना जाता था। बदलते समय के साथ इस स्थिति में व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होता है। आज के दौर में घर के बुजुर्ग जो आर्थिक क्रिया करने में अक्षम हो जाते हैं, को बोझ समझा जाने लगा है। आलम यह हो गया है कि बच्चे अपने माता–पिता को साथ रखने तक को तैयार नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में जीवन–यापन करने वाले व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। आज यह स्थिति केवल वृद्धजनों के साथ नहीं है, बल्कि विधवा एवं अपंग व्यक्ति भी इस प्रकार की उपेक्षा का दंश झेलने को मजबूर है। साथ ही ऐसे परिवार के लिए जिसकी आर्थिक स्थिति को संचालित करने वाले सदस्यों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो गयी हो या परिवार के किसी सदस्यों की गंभीर बीमारी के कारण परिवार का आर्थिक बजट बिगड़ गया हो, के समक्ष असामाजिक कार्यों में संलिप्त होने या आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के कार्यक्रम की व्यवस्था कर किसी

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

एक परिवार या इकाई की आर्थिक समस्या को समाज या राज्य की समस्या बनाकर उसका आसान समाधान निकाला जाता है। यही कारण है कि बदलते सामाजिक परिवेश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम न केवल समाज की जरूरत बन गयी है बल्कि आज के समय में एक स्वस्थ समाज के संचालन के लिए आवश्यक शर्त भी बन गयी है। इसके अभाव में स्वस्थ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

उत्तराखण्ड में संचालित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एवं उसकी वास्तविक दशा

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में विविध रूपों में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है (स्रोतः www.ssp.uk.gov.in)–

1. अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन

वृद्ध एवं अशक्त पुरूषों एवं महिलाओं के लिए 50 की क्षमता के दो आवासीय गृह चमोली एवं बागेश्वर में संचालित हो रहे हैं। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा निःशुल्क भोजन, औषधि आदि की व्यवस्था का प्रावधान है।

2. राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन

भिक्षावृति जैसी सामाजिक कुप्रथा को हतोतसाहित करने तथा उसके उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1975 से उ.प्र.सरकार ने भिक्षावृति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। इसके अतर्गत उत्तराखण्ड के हरिद्वार स्थित प्रदेश का एकमात्र भिक्षुक गृह संचालित है। इसमें 200 भिक्षुओं को रखने की व्यवस्था है।

3. अकिंचन मृतकों के दाह–दफन संस्कार हेतु अनुदान

लावारिस शवों तथा निर्धन व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उनके अन्तिम संस्कार हेतु राज्य सरकार प्रति व्यक्ति रूपये 2500 की दर से दाह संस्कार पर व्यय करती है।

4. कश्मीरी विस्थापितों को आर्थिक सहायता

प्रदेश में कश्मीरी विस्थापितों के लिए आर्थिक सहायता योजना संचालित है, जनपद देहरादून में लगभग 43 कश्मीरी विस्थापित परिवार हैं, इन परिवारों के भरण–पोषण हेतु पूर्व में रू. 750 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इस भरण–पोषण की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए 01 अप्रैल, 2005 से रूपये 1125 प्रतिमाह कर दिया गया है। भरण–पोषण की धनराशि लाभार्थियों को जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाती है।

5. वृद्धावस्था पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा के अतर्गत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण–पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है। जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तों के अतर्गत पेंशन प्रदान करने की योजना है।

पेंशन पाने हेतु नियमः

- लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मासिक आय रू. 4000 तक हो।
- अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी. पी. एल. चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन० एस० ए० पी०)

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में चार प्रकार की उपयोजनाओं का संचालन किया रहा है–

- **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना**

  यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ संचालित की जाती है। 60 वर्ष एवं इससे ऊपर के पेंशनर जो बी० पी० एल० परिवार के हों, को रूपये 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को रूपये 200 प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा तथा रूपये 800 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को मिलने वाले पेंशन में केन्द्र सरकार द्वारा देय बढ़कर रूपये 500 प्रतिमाह हो जाता है तथा राज्य सरकार का देय रूपये 800 से घटकर रूपये 500 और कुल रूपये 1000 प्रतिमाह हो जाता है।

- **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना**

  इस योजना में निराश्रित दिव्यांग पेंशन पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही बी० पी० एल० चयनित परिवारों के 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा रूपये 700 तथा केन्द्र सरकार द्वारा रूपये 300 कुल रूपये 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

- **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना**

  इस योजना में वैसी विधवा महिला को जो निराश्रित हों, में से ही बी० पी० एल० चयनित परिवारों की 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को पात्र माना जाता है। इस योजना में दिनांक 1.10.2012 से राज्य सरकार द्वारा रूपये 700 तथा केन्द्र सरकार द्वारा रूपये 300 कुल रूपये 1000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना**

  इस योजना में ऐसे परिवार जो बी० पी० एल० की श्रेणी में आते हैं, के कामगार सदस्य की मृत्यु होने पर रूपये 20,000 की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 59 वर्ष निर्धारित की गयी है। इसका संचालन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह योजना पूर्णरूपेन केन्द्र प्रायोजित है।

7. निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

इस योजना के अंतर्गत वैसी निराश्रित विधवायें जो कि विधवा पेंशन पाने की पात्र होती है, की पुत्रियों के विवाह हेतु रूपये 50,000 का अनुदान दिया जाता है।

8. अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे युवक/युवतियों को जो अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करते हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप रूपये 50,000 एकमुश्त प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की चुनौतियाँ

भारतीय परिवेश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया था, आज भी धरातल पर वह उससे मीलों दूर नजर आता है। समाज में बढ़ती असामाजिक घटनाएं, स्वास्थ्य के अभाव में दम तोड़ते गरीब, आर्थिक वंचना के शिकार कामगार मजदूर तथा इसके परिणामस्वरूप पनपते बाल अपराध एवं बाल श्रमिक, समाज में वृद्धों की बढ़ती उपेक्षा एवं वृद्धाश्रम का बढ़ता महत्व, अपने ही घर में उपेक्षित एवं बंधुआ मजदूर की जिन्दगी जीने को मजबूर बुजुर्ग आदि छवियां वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की अपेक्षित सफलता से दूर रहने की दिशा की ओर संकेत करती है। इसके लिए किसी एक या दो कारक को जिम्मेवार ठहराना समयोचित प्रतीत नहीं होता है। समाज में बढ़ती जनसंख्या, जागरूकता का अभाव, भ्रष्टाचार, उपभोक्तावादी संस्कृति की चमक, अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों की ढ़ीली पकड़, भौगोलिक परिवेश, अशिक्षा, संवादहीनता (कम्यूनिकेशन गेप) आदि अनेक ऐसे कारक हैं, जो आज सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता के मार्ग में बाधक है।

हमारे देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यदि हम आजादी के बाद हुए जनगणना के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि आखिर क्यूं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अपने अपेक्षाओं पर खड़ा होने से वंचित रह जाती है। 1951 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत में) एवं साक्षरता दर (महिला एवं पुरूष) का विवरण सारणी संख्या 01 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 01

क्षेत्र	आंकड़े की प्रकृति		2011	2001	1991	1981	1971	1961	1951
भारत	जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)		17.64	21.54	23.87	24.66	24.80	21.64	13.31
	साक्षरता दर	पुरूष	82.1	75.9	64.1	56.4	46.0	40.4	27.2
		महिला	65.5	54.2	39.3	26.6	22.0	15.4	08.9
उत्तराखण्ड	जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत में)		18.81	19.20	उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवम्बर 2000 को हुआ था। इसके कारण 2001 से पूर्व विषय से संबंधित पूर्व का डेटा अनुपलब्ध है।				
	साक्षरता दर	पुरूष	87.40	83.28					
		महिला	70.01	59.63					

स्रोत – http://censusindia.gov.in

समाज में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या एवं अपेक्षित रूप में महिलाओं की जो किसी समाज की आधी आबादी होती है, कि निम्न साक्षरता दर आज भी सामाजिक विकास में बाधक है। यह इस समाज में किसी भी प्रकार की योजनाओं को लागू करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधक है। इसके अतिरिक्त इन समाजों में आज भी किसी न किसी रूप में जातिवादी विचारधारा एवं भाई–भतीजावाद की भावना प्रबल है। इसके परिणामस्वरूप समाज के आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार तबकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षित रूप में नहीं मिल पाते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के मार्ग में एक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक की चर्चा किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जिसके कारण इसका लाभ वास्तविक पीड़ित तक नहीं पहुंच पाता है, वह है भ्रष्टाचार। आज उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि भारत का हर राज्य इसकी चपेट में है। आज यदि चंद नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों को छोड़ दिया जाए तो सभी दूसरे का हक छीनने को तैयार बैठा है। इससे बचने के लिए सरकारी स्तर पर पारदर्शिता लाने हेतु अनेक प्रावधान किए जा रहे हैं, बावजूद इसके वास्तविक स्थिति में विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:3(5), March 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

है। आज न तो जिनका अधिकार छीन रहा है वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक है और न ही अधिकारी इसके लिए उसमें जागरूकता लाना चाहते हैं। ऐसे में किसी भी योजनाओं की सफलता की बात करना उचित प्रतीत नहीं होता है। आज जरूरत इस बात की है कि एक ओर भ्रष्ट राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों में नैतिकता की भावना जागृत की जाए तथा जनता को उसके लिए संचालित योजनाओं से अवगत कराने के लिए गैर सरकारी संगठन एवं संचार माध्यमों से धरातल स्तर पर काम को महत्व प्रदान किया जाए।

निष्कर्ष

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकार की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संचालित एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। आज के बदलते परिवेश में यह इसलिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग निराश्रित जीवन जीने को विवश है। इसके अतिरिक्त समाज का एक बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है या उस रेखा के इर्द–गिर्द कहीं उपर की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में जीवन–यापन करने वाले व्यक्ति या परिवार के लिए जब कभी आकस्मिक आर्थिक बोझ बढ़ता है तो वह अकेले उसका सहन करने में सक्षम नहीं होते। इस प्रकार की परिस्थिति से बचाने के लिए ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इस प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। विडम्बना यह है कि आज के दौर में भी समाज में इतनी अज्ञानता है कि किसी भी योजना की जानकारी सही स्वरूप में पीड़ित एवं लक्षित समूह वर्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि पहुंच भी जाते हैं तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, जिसके कारण इस प्रकार की योजनाएं अपेक्षित परिणाम देने में अक्षम प्रतीत होती है। आज जरूरत इस बात की है कि इन समस्याओं का समाधान तलाशते हुए योजनाओं को लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जाए। इसके बिना अपेक्षित परिणाम की कल्पना कभी साकार रूप धारण नहीं कर सकती है।

संदर्भ–ग्रंथ सूची

योजना जुलाई 2017
यूथ इन इंडिया, भारत सरकार, 2017
www.ssp.uk.gov.in
www. censusindia.gov.in
www.uk.gov.in
www.india.gov.in
www.socialwelfare.uk.gov.in
www.schooleducation.uk.gov.in
www.pewresearch.org